

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 09/एन0टी0/2024

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 26-04-2024

सीता देवी

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1966.

प्रार्थिया श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व0 श्री मोहन सिंह, निवासी गांव व डाकघर दियोग्रां, उप-तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 25-12-1956 को गांव व डा0 दियोग्रां में घर पर हुआ था परन्तु अज्ञानतावश ग्राम पंचायत दियोग्रां के अभिलेख में जन्म तिथि पंजीकृत न करवाई गई। अतः सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जन्म पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएं।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-04-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असातन या बकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थिया सीता देवी के जन्म तिथि पंजीकरण दिनांक 25-12-1956 के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पंचरूखी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

**ब अदालत साजन बग्गा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, पालमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 :

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती

तारीख पेशी : 28-04-2024

रजनी बाला

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम.—रजनी बाला पत्नी राजीव राणा, निवासी सिद्धपुर सरकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचारधीन हैं। इसमें प्रार्थिया ने अपने व अपने पति के नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया है। प्रार्थना-पत्र में प्रार्थिया ने व्यक्त किया है कि उसका व उसके पति का सही नाम रजनी वाला व राजीव राणा है जबकि प्रार्थिया के बच्चे कनिका के स्कूल रिकार्ड में रजनी और

राजीव है। अतः ई-राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया उसके पति का सही नाम रजनी वाला व राजीव राणा है। अतः इस बारे किसी को कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-04-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12-04-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(साजन बग्गा),
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं० : 01/एन0टी0/2024

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 29-04-2024

बीरवाला

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती।

प्रार्थिया बीरवाला पत्नी स्व० श्री रवि कुमार, निवासी गांव व डा० भरवाला, उप-तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया श्रीमती बीरवाला पत्नी स्व० श्री रवि कुमार का नाम महाल भरवाना पटवार वृत्त सल्याड़ा, उप-तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के राजस्व रिकार्ड में मीरा देवी पत्नी रवि कुमार दर्ज कागजात माल है जोकि गलत है जबकि असल में उसका नाम बीरवाला पत्नी स्व० श्री रवि कुमार है। अतः सम्बन्धित राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-04-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थिया के सही नाम बीरवाला उर्फ मीरा देवी पत्नी स्व० श्री रवि कुमार की दुरुस्ती के आदेश सम्बन्धित राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पंचरूखी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 46/NT/2024

तारीख पेशी : 30-04-2024

रीना देवी पुत्री साली राम पुत्र गोरखू राम हाल पत्नी लेख राज पुत्र गरीवू राम, निवासी गांव व
डाकघर भरमात, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

रीना देवी पुत्री साली राम पुत्र गोरखू राम हाल पत्नी लेख राज पुत्र गरीवू राम, निवासी गांव व
डाकघर भरमात, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि
प्रार्थिया का जन्म महाल भरमात, ग्राम पंचायत भरमात, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में दिनांक
01-07-1978 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत भरमात के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः अब इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को
कोई उजर या एतराज हो तो दिनांक 30-04-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर
होकर अपनी आपत्ती दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न
होंगे तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत भरमात को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 42/NT/2024

तारीख पेशी : 30-04-2024

अजय कुमार पुत्र पाल सिंह, निवासी गांव व डाकघर गोपालपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा,
हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अजय कुमार पुत्र पाल सिंह, निवासी गांव व डाकघर गोपालपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा,
हि0प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी का जन्म महाल गोपालपुर, तहसील पालमपुर,

जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में दिनांक 14-05-1965 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत गोपालपुर के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः अब इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो दिनांक 30-04-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ती दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत गोपालपुर को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
